अलवर

२४-३-२५

पतावली पेश हुई निर्णय प्रथम से निरवायर जाकर रेवेन्यू न्यायालय से छपाया गया निर्णय प्रति प्रथम से तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर बाद तकमील पतावली नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/4	25.02.2025	136 LR Act	25.03.2025

उनवान

1:–प्रभूदयाल पुत्र श्री बलदेव जाति माली उम्र करीब 72 साल निवासी ग्राम बहादुरपुर पटटी पहाडी तहसील व जिला अलवर — प्रार्थी

बनाम

1:–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू०अ० अलवर। — असल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता सं. 137 आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 0.02 है०, खाता सं. 128 खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.01 है0, 1341 रकबा 0.02 है०, खाता सं. 129 खसरा नम्बर 858/1521 रकबा 0.15 है0, 861/1522 रकबा 0.08 है0, 942 रकबा 0.05 है०, खाता सं. 130 खसरा नम्बर 1339 रकबा 0.12 खाता सं. 133 खसरा नम्बर 649 रकबा 0.15 है0, 650 रकबा 0.24 है0, 655 रकबा 0,12 है0, 656 रकबा 0.21 है०, खाता सं. 292 खसरा नम्बर 660 रकबा 0.09 है०, खाता सं. 324 खसरा नम्बर 647 रकबा 0.01 है0, 648 रकबा 0.02 है०, खाता सं. 136 खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.01 है0, 1317 रकबा 0.10 है0, 1318/1320 रकबा 0.01 है0, 1621/860 रकबा 0.11 है0, 859 रकबा 0.22 है० वाके ग्राम बहादुरपुर पटटी पहाडी सब तहसील बहादुरपुर तहसील व जिला अलवर राज० में स्थित हैं।

विवादित आराजी में मिन वादी का आराजी खाता सं. 137 में 1/12 सालिम हिस्सा, खाता सं. 128 में 1/3 सालिम हिस्सा, खाता सं. 129 में 1/3 सालिम हिस्सा, खाता सं. 130 में 1/3 सालिम हिस्सा, खाता सं. 133 में 1/3 सालिम हिस्सा, खाता सं. 292 में

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

4 सालिम हिस्सा, खाता सं. 324 में 1/12 सालिम हिस्सा, खाता सं. 136 में सम्पूर्ण हिस्सा जे काश्त खातेदारी का हैं।

हाल राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारी द्वारा सहबन व टिपूर्वक प्रभू दर्ज व अंकित कर दिया गया। जो गलत हैं तथा काबिले दुरूस्ती हैं। जबकि न प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम प्रभूदयाल हैं

प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजत जैसे आधार कार्ड सं. 4863 0860 4802, राशन कार्ड सं. 00090 व ग्राम बहादुरपुर पटटी पहाडी में ही प्रार्थी की स्थित अन्य आराजी खाता सं. 131 व 132 में सालिम हिस्से की बाबत हाल राजस्व रिकोर्ड वगैहरा में प्रार्थी का नाम प्रभूदयाल दर्ज हैं जिन दस्तावेजो से भी यह बखूबी साबित व प्रमाणित हैं कि मिन प्रार्थी का नाम प्रभूदयाल हैं तदानुसार ही राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम प्रभू के स्थान पर प्रभूदयाल दर्ज व दुरूस्त किया जाना न्याय संगत हैं दिनांक 18.02.2025 को मिन प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात की बाबत हाल राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी वगैहरा में राजस्व कर्मचारी द्वारा सबहन व त्रुटिपूर्वक प्रार्थी का नाम प्रभू को कमलजन कर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम प्रभूदयाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने वादग्रस्त आराजीयात की बाबत प्रार्थी के नाम प्रभूदयाल के स्थान पर शमीर खां होना मानकर प्रभू के स्थान पर प्रभूदयाल दर्ज व दुरूस्त करने हेतु न्यायालय से अहकाम जारी कराने के लिए कहा गया जिससे मिन प्रार्थी के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा हैं प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु बिनाय दावा व बिनाय मुखास्मत दिनांक 18.02.2025 को बमुकाम अलवर में उत्पन्न हुई हैं। जिससे वाद पत्र अंदर मियाद पेश हैं उक्त आराजीयात ग्राम बहादरपुर पटटी पहाडी सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं जिससे वाद पत्र को सुनने का न्याय क्षेत्र न्यायालय श्रीमान को हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी खाता सं. 137 आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 0.02 है०, खाता सं. 128 खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.01 है0, 1341 रकबा 0.02 है0, खाता सं. 129 खसरा नम्बर 858/1521 रकबा 0.15 है0, 861/1522 रकबा 0.08 है0, 942 रकबा 0.05 है०, खाता सं. 130 खसरा नम्बर 1339

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

कबा 0. 12 है०, खाता सं. 133 खसरा नम्बर 649 रकबा 0.15 है0, 650 रकबा 0.24 है0, 655 रकबा 0.12 है0, 656 रकबा 0.21 है0, खाता सं. 292 खसरा नम्बर 660 रकबा 0.09 है०, खाता सं. 324 खसरा नम्बर 647 रकबा 0.01 है0, 648 रकबा 0.02 है०, खाता सं. 136 खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.01 है0, 1317 रकबा 0.10 है0, 1318/1320 रकबा 0.01 है0, 1621/860 रकबा 0.11 है0, 859 रकबा 0.22 है० वाके ग्राम बहादुरपुर पटटी पहाडी सब तहसील बहादुरपुर तहसील व जिला अलवर में राजस्व कर्मचारीयों द्वारा हाल राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी वगैहरा में प्रार्थी का सबहन व त्रुटिपूर्वक दर्ज किये गये नाम प्रभू को कमलजन किया जाकर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम प्रभूदयाल दर्ज व दुरूस्त कर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करने हेतु अहकाम जारी करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट पत्रॉक भू0अ0/2025/324 दिनॉक 16–1–2025 के अनुसार वाके ग्राम बहादुरपुर पट्टी पहाड़ी तहसील अलवर में स्थित आराजी खाता न0 137, 128, 129, 130, 133, 292, 324, 136 की स्थिति मुताबिक जमाबन्दी हाल सेग्रीगेशन में उक्त खाता नम्बर में स्थित आराजी खसरा नम्बरान में प्रभू पुत्र बलदेव जाति मानी सा. देह हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। जमाबन्दी की नकल संलग्न है

प्रार्थी उक्त आराजी में प्रभू पुत्र बलदेव के स्थान पर प्रभूदयाल पुत्र बलदेव राजस्व रिकोर्ड में दुरुस्त का अनुतोष चाहता है मुताबिक जॉच रिपोर्ट नायब तहसीलदार बहादुरपुर के उक्त आराजी में वादी (प्रार्थी) का नाम जर्ये नामान्तकरण संख्या 49 विरासत निर्णय दिनांक 24/08/98, व नामा0 स0 112 विरासत निर्णय दिनांक 19/10/2001 बलदेव पुत्र हीरानन्द फौत के बजाय पूरण, प्रभू, रतन, पुत्रान बलदेव के नाम दर्ज कर से स्वीकृत होकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हुआ है जो वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में चला आ रहा है कोई राजस्व त्रुटी नहीं हुई है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमे बयान किये गये कि प्रभू पुत्र बलदेव व प्रभुदयाल पुत्र बलदेव एक ही व्यक्ति का नाम है तथा अध्यक्ष नगर पालिका बहादरपुर द्वारा भी प्रभु और प्रभुदयाल दोनों एक ही व्यक्ति है का प्रमाण पत्र जारी किया गया है आधार कार्ड संख्या 4863 0860 4802 राशन कार्ड संख्या 00090 में प्रभुदयाल सैनी अंकित है

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अतः मुताबिक जाँच रिपोर्ट के उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम जर्ये नामान्तकरण स0 112 विरासत से प्रभू पुत्र बलदेव दर्ज हुआ है जो वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में चला आ रहा है कोई राजस्व त्रुटी नहीं हुई है प्रार्थी द्वारा जर्ये शपथ पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, प्रमाण पत्र के राजस्व रिकोर्ड में प्रभू के बजाय प्रभुदयाल दुरुस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है जाँच रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2)1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न प्रा0 पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर खातेदार बल्देव पुत्र हीरानन्द की मृत्यु के पश्चात जर्ये विरासत नामान्तकरण संख्या 49 विरासत निर्णय दिनांक 24/08/98, व विरासत नामा0 स0 112 विरासत निर्णय दिनांक 19/10/2001 आराजी का दर्ज किया गया जिसके अनुसार प्रभू पुत्र बलदेव का अंकन किया गया जो वर्तमान में लगातार चला आ रहा है कोई राजस्व त्रुटी नहीं हुई है जो आदिनांक तक हाल राजस्ब रिकार्ड मे बदस्तूर चला आ रहा है

उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र आराजी का विरासत नामान्तकरण अनुसार अंकन सही एंव सत्य है किसी भी प्रकार की त्रृटि राजस्व अभिलेख मे होना जाहिर नही पाया गया है नाही बन्दोबस्त के दौरान का मामला बनना पाया जाता है

प्रार्थी द्वारा शपथ पत्रं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र की प्रति के आधार पर राजस्व अभिलेखो मे नाम मे परिवर्तन चाहा गया जो प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

956 की धारा 136 के अन्तर्गत नही आने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है प्रार्थी किसी भी न्यायालय मे सम्बंधित धाराओ के अन्तर्गत वाद दायर कर रिलिफ पाने के लिये स्वतन्त्र है।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 24-3-25 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर